469

राजस्व विभाग

युद्ध जागीर

दिनांक 11 अक्तूबर, 1985

क्रमांक 1088-ज-(2)-85/30994.--पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए), (1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, श्रीमती श्योबाई, विधवा श्री अमर सिंह, गांव कोसली, तहसील झज्जर, जिला रोहतक को खरीफ 1965 से 100 रुपये वार्षिक, खरीफ 1970 से खरीफ 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत की युद्ध जागीर, सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक 1092-ज-(1)-85/30998.--पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए) (Iए)तथा 3(Iए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुई हरियाणा के राज्यपाल, श्री कृष्ण गुजराल, पुत्र श्री रासलाल गुजराल 227 माडल टाऊन यमुनानगर, जिला अम्बाला को रबी 1974 से खरीफ 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत की युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक 1149-ज-(2)-85/31002.--पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, श्री महिन्द्र सिंह, पुत्र श्री कुन्डा सिंह, गांव ओढा, तहसील डबवाली जिला सिरसा को रबी. 1976 से खरीफ 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत की युद्ध जागीर, सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते है।

दिनांक 15 अक्तूबर, 1985

क्रमांक 1037-ज-(2)-85/31181.--श्री गगेशी, पुत्र श्री ज्ञानी राम, गांव बरोना, तहसील व जिला रोहतक की दिनांक 20 मई, 1984 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री गगेशी की मुश्लिग 300 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 2179-आर-(IV)-67/1906, दिनांक 8 जून, 1967, 5041-आर-111-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 तथा 1789-ज-(1)-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती सुखमा देवी के नाम खरीफी, 1984 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

दिनांक 16 अक्तूबर, 1985

क्रमांक 1043-ज-(2)-85/31305.--श्री तारा चन्द, पुत्र श्री उदमी राम, गांव भराण, तहसील महम, जिला रोहतक की दिनांक 23 अप्रैल, 1983 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए)(1) तथा 3(1)(ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री तारा चन्द की मुश्लिग 300/-रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 610-ज-(2)-22/15333, दिनांक 3 मई, 1982 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमति अनचाही के नाम खारीफ 83 से 300/- रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते करते हैं।

क्रमांक 1044-ज-(2)-85/31309.--श्री दिवान सिंह, पुत्र श्री लखी, राम गांव त्रिसाहन, तहसील झज्जर, जिला रोहतक की दिनांक 11 जुलाई, 1984 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री दिवान सिंह की मुश्लिग 300 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 2441-ज-(2)-76/2830, दिनांक 31 जनवरी, 1977 तथा 1789-ज-(1)-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती गिन्दोड़ी के नाम रबी 1985 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।